सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 29/2017

1. पालासिंह पुत्र स्व. श्री बंतासिंह जाति रायसिख निवासी 21 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

अपीलार्थी

बनाम

1. सुरजीत सिंह पुत्र स्व. श्री बंतासिह जाति रायसिख निवासी 21 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. हरचन्द सिंह पुत्र स्व. श्री बंतासिह जाति रायसिख निवासी 21 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
3. पालो बाई पुत्री स्व. श्री बंतासिह पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 20 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
4. सलोचना बाई पुत्री स्व. श्री बंतासिह पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 6 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
5. जलो बाई पुत्री स्व. श्री बंतासिह पत्नी श्री मंगल सिंह (मृतक) के कायम मुकाम

5/1. सुखदेव सिंह पुत्र मंगलसिंह जाति रायसिख निवासी गांव बांडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

5/2. जसविन्द्र कौर पुत्री मंगलसिंह जाति रायसिंख निवासी गांव 14 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री बलकरण सिंह बराड , अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री विरेन्द्र कुमार सिंहाग, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–21.05.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 5 के पिता व रेस्पोडेन्ट सख्या 5/1 व 5/2 के नाना स्वर्गीय श्री बंतासिंह पुत्र श्री जिंदा सिंह जाति रायसिंख के नाम चक 1 सी बडी के खाता संख्या 58/53 के मु.न. 31 के किला नम्बर 1 ता 13 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 14 में 5 बिस्वा व किला नम्बर 19, 22 सालम कुल 15.05 बीघा नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। बंतासिंह का दिनांक 13.07.2010 को स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गीय बंता सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 31.05.2006 को उप पंजीयक खाजूवाला के समक्ष रोबरू गवाहान पेश होकर अपने नाम से दर्ज चक 21 बीडीए के मु0न0 95 के 22. 08 बीघा व चक 1 सी बडी के खाता संख्या 58/53 के मु.न. 31 के किला नम्बर 1 ता 13 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 14 में 5 बिस्वा व किला नम्बर 19, 22 सालम कुल 15. 05 बीघा नहरी कृषि भूमि इस प्रकार दोनो चको की कुल 37.13 बीघा भूमि की वसीयत अपने पुत्र सुरजीत सिंह, हरचन्द सिंह व पाला सिंह के नाम से 1/3 बहिस्सा बराबर–बराबर की थी। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर चक 21 बीडीए की कृषि भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुरजीत सिंह द्वारा स्वयं राजस्व अधिकारीयों के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

समक्ष पेश होकर 1/3 हिस्सा बराबर–बराबर का करवाया था। बंता सिंह के जीवनकाल में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 संयुक्त परिवार के रूप में निवास करते थे। बंता सिंह भी साथ में ही निवास करता था वह कभी सुरजीत सिंह के साथ अलग से निवास नहीं करता था। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा लालच के वसीभूत होकर बंता सिंह के नाम दर्ज चक 1 सी बडी के खाता संख्या 58/53 के मु.न. 31 के किला नम्बर 1 ता 13 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 14 में 5 बिस्वा व किला नम्बर 19, 22 सालम कुल 15.05 बीघा नहरी कृषि भूमि की एक फर्जी कूटरचित तथाकथित वसीयत दिनांक 18.01.2007 तैयार कर राजस्व अधिकारीयों के साथ साज–बाज होकर अकेले अपनेनाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवा लिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ता 5 को उनके हक से महरूम कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि पिता बंता सिंह द्वारा दिनांक 31.05.2006 को तीनों भाईयों के नाम से रजिस्टर्ड वसीयत करवायी जा चुकी है उसके बावजूद भी फर्जी वसीयत तैयार कर उक्त विवादित कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लिया, जबकि स्व0 बंता सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 31.05.2006 को करवायी गई वसीयत के अलावा अन्य कोई भी वसीयत नहीं करवायी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट को बिना बुलाये तमाम कार्यवाही उनकी पीठ पीछे अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश में वसीयत की सूचना की छाया करवाई गई जो अपीलांट के निवास स्थान गांव 21 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर में प्रसारित नहीं होता इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय की कायर्कवाही की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुरजीतसिंह द्वारा जानबुझ कर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 का हिस्सा की कृषि भूमि का अमल दरामद अपने नाम से करवा लिया। अपीलान्ट को इस बात का ज्ञान दिनांक 10.03.2017 को तब चला ज बवह गांव पक्की में अपनी रिश्तेदारी में शादी पर आया हुआ था तब बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि बंता सिंह के नाम की कृषि भूमि का तथाकथित कूटरचित फर्जी वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 सुरजीत सिंह द्वारा अपने नाम से इंतकाल करवा लिया । अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर दिनांक 05.12.2016 (प्रकरण संख्या 30/2016) जिसके द्वारा तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने आदेश दिया गया, उक्त आदेश पर इन्तकाल संख्या 803 दिनांक 19.12.2016 दर्ज किया को निरस्त फरमाया जावे और रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 31.05.2006 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। दिनांक 21.05.2018 को उभयपक्ष मय अधिवक्ता लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उपस्थित हुए तथा आपसी सहमति स्वरूप एक लिखित राजीनामा (सहमति–पत्र) प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सख्या 01 की ओर से उनके विद्ववान अधिवक्ता ने उनसे टेलीफोनिक वार्ता के आधार पर मंशा जाहिर करते सहमति होना स्वीकार किया और कहा कि अपीलार्थी /रेस्पोडेन्ट के पिता की उक्त अपीलाधीन भूमि उसके तीनो पुत्रो के बहिस्सा बराबर खाते में कर दी जावे तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। मृतक बन्तासिंह की शेष वारिस पुत्रियों एवं नातियों ने भी इसमें अपनी सहमति जता दी गई है। उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति–पत्र पर बाद आई. डी. शिनाख्त पक्षकारों के हस्ताक्षर करवाकर बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। सहमति–पत्र के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर के प्रकरण सख्या 30/2016 निर्णय/आदेश दिनांक 05.12.2016 तथा इसकी पालना में भरा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वह ग्राम 1 सी बडी के मु.न. 31 रकबा 3.352 हैक्टर भूमि का नामांतरण स्व. बंता सिंह के तीनो पुत्रो सुरजीत सिंह, हरचन्द सिंह (रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2) तथा पाला सिंह (अपीलार्थी) के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर भरकर बाद तस्दीक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(नखतदान बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।